न्यायालय सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट मालाखेडा, जिला अलवर (राज.)
पीठासीन अधिकारी: नीलोफर तोमर,आर.जे.एस.
प्रथम सूचना रिपोर्ट सं.- 669/2022 पुलिस थाना मालाखेडा, अलवर
C.I.S. NO. :88/2022

1- साहिल खान पुत्र बने खान निवासी ककराली पुलिस थाना सदर जिला अलवर राजस्थान।
---प्रार्थी/अभियुक्त

बनाम

राजस्थान राज्य।

अपराध अंतर्गत धारा 379 भारतीय दंड संहिता

जमानत प्रार्थनापत्र अंतर्गत धारा 437 दंड प्रक्रिया संहिता

उपस्थितः-

1- श्री देवेन्द्र प्रधान, विद्वान अधिवक्ता -प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से।
2. विद्वान सहायक अभियोजक अधिकारी, राज्य की ओर से।

-आदेशः-

दिनांकः- 29-10-2022

प्रार्थी/अभियुक्त **साहिल खान पुत्र बने खान** की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा जमानत आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया गया। जिसकी नकल सहायक अभियोजन अधिकारी को दिलाई गई।

बहस जमानत प्रार्थना-पत्र सुनी गई एवं अनुसंधान पंजिका का अवलोकन किया गया।

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ब्रजमोहन सैन द्वारा एक लिखित रिपोर्ट पुलिस थाना मालाखेडा में इस आशय की पेश की कि दिनांक 9-9/10-22 की रात्रि को करीब 12-1 बजे रात को उसकी पांच बकरियों को घर के पास में बांध रखी थी जो कोई अज्ञात चोर उसकी बकरियों को चोरी कर ले गया जिससे पूर्व भी उसकी 15 बकरियां चोरी हुयी थी। जिसका मुकदमा नंबर 621/22 दर्ज करा रखा है। जो अभी तक नहीं मिली है व आज रात्रि में ही मामराज के घर के पास बने बकरियों का बाडा में से 8 बकरियों को कोई अज्ञात चोर चोरी करके ले गया है.....इत्यादि। अभियुक्त को दिनांक 30-09-2022 को गिरफ्तार कर दिनांक 01-10-2022 को न्यायालय में पेश कर 4 दिवस पी.सी. चाहा गया। अभियुक्त को 4 दिवस के लिये पी.सी. में दिया गया। तत्पश्चात दिनांक 04-10-2022 को पी.सी. से पेश कर जे.सी. चाहा गया। अभियुक्त को जे.सी. में लिया गया। तत्पश्चात अभियुक्त अधिवक्ता की ओर से जमानत प्रार्थनापत्र दिनांक 28-10-2022 को पेश किया।

बहस के दौरान विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी/अभियुक्त ने प्रार्थना-पत्र में वर्णित तथ्यों की पुनरार्वृत्ति करते हुए कथन किया है कि प्रकरण में प्रार्थी/अभियुक्त को झूंठा फंसाया गया है। प्रकरण के अनुसंधान एवं अन्वीक्षा में समय लगेगा। प्रार्थी/अभियुक्त न्यायालय के आदेशानुसार जमानत मुचलके पेश करने को तैयार है। अतः अभियुक्त को जमानत का लाभ दिया जावे।

इसके विपरीत विद्वान सहायक अभियोजक अधिकारी ने प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन खारिज किये जाने का निवेदन किया।

उभय पक्ष की बहस पर मनन किया एवं अनुसंधान पंजिका का अवलोकन किया गया।

हस्तगत प्रकरण में प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्व धारा 379 भारतीय दंड संहिता के अधीन दंडनीय अपराध के आक्षेप अधिरोपित किये गये हैं। अनुसंधान पंजिका के अवलोकन से यह

जाहिर होता है कि अभियुक्त पर प्रार्थी की बकरियों को चोरी करने का आरोप है। प्रकरण में अभियुक्त को पुलिस अभिरक्षा में लिया गया था जिस पर अभियुक्त के कब्जे से धारा 27 की इत्तला पर माल मशरूका बकरियों को बेचने पर हिस्से की राशि 1200/ - रूपये एवं वारदात में प्रयोग की गयी मोटरसाईकिल को बतौर वजह सबूत जब्त किया गया है। केस डायरी का अवलोकन करें तो केस डायरी पर बकरियों को बेचने पर हिस्से की राशि 1200/ - रूपये एवं वारदात में प्रयोग की गयी मोटरसाईकिल की जब्ती मुलजिम साहिल से होने के बाबत फर्द संलग्न है। उक्त प्रकार के अपराधों में दिनोदिन बढोतरी हो रही है। केस डायरी का अवलोकन करें तो अभियुक्त साहिल खान के विरूद्ध कोई आपराधिक रिकार्ड संलग्न नहीं है। अतः मामले के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों एवं कारित अपराध की गंभीरता एवं आए दिन चोरी की घटनाओं में हो रही उत्तरोत्तर वृद्धि को ध्यान में रखते हुए इस प्रक्रम पर मामले के गुणावगुण पर कोई टिप्पणी किये बिना न्यायालय द्वारा प्रार्थी/अभियुक्त **साहिल खान पुत्र बने खान** को जमानत का लाभ दिया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

अतः प्रार्थी/अभियुक्त **साहिल खान पुत्र बने खान** का उक्त जमानत प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

(नीलोफर तोमर)

आदेश आज दिनांक 29-10-2022 को मेरे द्वारा लिपिबद्ध करवाया जाकर बाद हस्ताक्षर एवं मुद्रांकित किया जाकर विवृत्त न्यायालय में उद्घोषित किया गया।

(नीलोफर तोमर)